


**Published in Rashtradoot All Rajasthan Edition on 11.4.2012**



**THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.**

Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302 005

Phone: 0141-5115760-63 Fax: 0141-5115766

**Website:** [www.rajsico.gov.in](http://www.rajsico.gov.in) **E-mail:** [rajsico@rajsico.in](mailto:rajsico@rajsico.in)

लघु उद्योग इकाईयों का पंजीयन वर्ष 2012-13 के लिए लौह इस्पात आपूर्ति हेतु निगम द्वारा sail से आवंटित लौह इस्पात का उपार्जन कर लघु उद्योग इकाईयों को उत्पादन कार्य हेतु उपलब्ध करवाया जाता है। इच्छुक लघु उद्योग इकाईयों जो कि जिला उद्योग केन्द्र में स्थायी पंजीकृत हैं, दिनांक 25.4.2012 तक आवेदन करें। इकाईयों की पात्रता एवं अन्य जानकारी हेतु वैब साईट [www.rajsico.gov.in](http://www.rajsico.gov.in) देखें

सहायक महाप्रबन्धक (वितरण)

## लौह एवं इस्पात वितरण नीति वित्तीय वर्ष 2012-13

निगम द्वारा भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा आवंटित लौह इस्पात राज्य की लघु उद्योग इकाईयों को वितरण हेतु निम्न नीति अपनाई जायेगी :-

1. राज्य की स्थाई पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों को लौह इस्पात वितरण हेतु निगम में पंजीकरण किया जायेगा । इस हेतु इकाईयाँ निर्धारित प्रपत्र अनेक्सर 'ए' में निर्धारित तिथी तक आवेदन करेंगी । निश्चित तिथी के उपरान्त इकाई का पंजीकरण करने या नहीं करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगी
2. लघु उद्योग प्रमाण पत्र में अंकित क्षमता से अधिक कच्चा माल उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा ।
3. निगम द्वारा उपार्जित माल का आवंटन एवं वितरण इच्छुक क्रेता लघु उद्योग इकाईयों को निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

1. एम.ओ.यू के अर्न्तगत -

(ए.) वर्ष 2012-13 हेतु एम.ओ.यू. करने वाली इकाईयों को एस.एस.आई.सी. रिबेट निम्नानुसार पारित की जायेगी :-

एम.ओ.यू मात्रा (मै.टन)	इन्वाइज स्टेज पर	एम.ओ.यू पूर्ण होने पर
प्रारंभ से 3000	120/-	80/-
3001 से 5000	180/-	120/-
5001 से अधिक पर	225/-	150/-

यह रिबेट निगम को सेल/आर.आई.एन.एल. से प्राप्त होने पर ही दी जायेगी ।

(बी) एम.ओ.यू. करने वाली इकाईयों पर स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया/राष्ट्रीय इस्पात निगम के एम.ओ.यू. सम्बन्धित नीतिगत प्रावधान भी लागू होंगे ।

(सी) सेल/आर.आई.एन.एल. के साथ वार्षिक आधार पर एम.ओ.यू. किया जायेगा । इस एम.ओ.यू. का माल इकाईयों को भी इसी आधार पर आवंटित किया जायेगा ।

(डी) एम.ओ.यू. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निगम के निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा ।

(ई.) यदि कोई इकाई एम.ओ.यू. पूर्ण नहीं कर पाती है तो बकाया एस.एस.आई.सी. रिबेट टी.ओ.डी.,कन्सीटेन्सी नहीं दी जायेगी । एम.ओ.यू. पूर्ण करने वाली इकाईयों को टी.ओ.डी.

कन्सीटेन्सी सेल द्वारा देने पर दी जायेगी । आई.एफ.सी., दरों में अन्तर राशि, त्रैमासिक रिबेट का भुगतान सेल से प्राप्त होने पर ही किया जायेगा ।

(एफ.) डायरेक्ट डिस्पेच बुकिंग हेतु 5.00 लाख रुपये पी.एफ.ए. के लिये जायेगे इस राशि का माह की बुकिंग के अन्तिम वैगन में समायोजन का प्रावधान रहेगा । यदि कोई इकाई अपनी बुकिंग का माल नहीं लेगी तो वह माल सेलस्टॉक यार्ड में डाईवर्ट करवा कर सम्बन्धित चार्जज इकाई को डेबिट कर दिये जायेंगे । एक बार डाईवर्ट करवाने वाली इकाईयों से पी.एफ.ए. राशि 10.00 लाख रुपये लेकर ही भविष्य में माल बुक करवाया जा सकेगा ।

(जी.) एम.ओ.यू. हेतु किसी भी प्रकार की अमानत राशि नहीं ली जायेगी ।

### नॉन एम.ओ.यू. इकाईयों हेतु :-

माल की मात्रा	इन्वाइज स्टेज पर देय रिबेट
शून्य से 200 मैट्रिक टन तक	150/- प्रति मै.टन
201 मै.टन से उपर	200/- प्रति मै.टन

नॉन एम.ओ.यू. इकाईयों को माल की आपूर्ति एम.ओ.यू. इकाईयों को प्राथमिकता दिये जाने के उपरान्त शेष बचे माल की उपलब्धता एवं इकाईयों की मांग को मध्यनजर रख कर की जायेगी ।

आवंटित किये गये माल की उपयोगिता जाँच हेतु सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को सूची नियमानुसार भिजवाई जायेगी । जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दोषी पाई गई इकाईयों को माल की आपूर्ति तुरन्त बन्द करदी जायेगी ।

- इकाईयों द्वारा निगम के अग्रिम भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से करना होगा भुगतान प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त सेल/आर.आई.एन.एल. के नाम चैक जारी करवा कर माल की डिलीवरी की जायेगी ।
- (ए) एक ही आर.आर. एवं विभिन्न साईज का माल अलग-अलग वैगन में आने की स्थिति में इकाईयों से शपथ पत्र लिया जायेगा यथा संभव निगम मांग के अनुसार वैगन देगा परन्तु किन्ही परिस्थिति में कोई कोईल ( )किसी दूसरे के वैगन में आ जाती है तो इकाई को स्वीकार्य होगा ।  
(बी) यदि एक ही आर.आर. में 2 या 3 इकाईयों का माल आ जाता है तो सभी इकाईयों को एक मुश्त राशि जमा करवानी होगी जो भी इकाई देरी से राशि जमा करायेगी एवं जिस इकाई द्वारा राशि जमा करवा दी गई है उनके सभी वारफेज/डेमरेज, देरी से भुगतान करने वाली इकाईयों को वहन करने होंगे ।  
(सी) प्रत्येक माह की 5 तारीख डायरेक्ट डिस्पेच बुकिंग एवं स्टॉक यार्ड की बुकिंग 23 तारीख तक देने पर ही सेल/आर.आई.एन.एल. में माल बुक करवाया जा सकेगा ।
- किसी भी प्रकार का संशोधन घटाना बढ़ाना व नीति आदि में परिवर्तन इत्यादि शक्तियाँ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के पास ही होंगी ।



**REGISTRATION FORM**

**The Rajasthan Small Industries Corporation Limited**

Udyog Bhawan,  
Jaipur.

Dear Sir,

We are pleased to furnish following latest information of our SSI Unit and book the annual requirement of Iron & Steel for the year 2012-13 duly verified by the respective District Industries Centers.

<b>S. No.</b>	<b>REQUIRED INFORMATION</b>	<b>DETAILS</b>
1.	Name of Unit	
2.	Address of the Unit	
3.	Address of Corporation Office	
4.	Phone, Fax & Mobile No. of Unit with name of contact person	
5.	DIC Permanent Registration No. & Year (Photocopy be enclosed)	
6.	Latest physically and working existence certificate issued by concerning DIC. (Certified copy be enclosed)	

7.	Pan Copy of returned field be enclosed	
8.	Latest VAT assessment certificate (Photocopy be enclosed)	
9.	Tin No. (Certified copy be enclosed)	
10.	Items being Manufacturing in the Unit	
11.	Quantities & Category of Iron & Steel consumed by the Unit during 2011-2012	
12.	Quantities & Category of Iron & Steel procured from RSIC during 2011-2012 Details is to be given	
13.	Quantities & Category of Iron & Steel procured from open market during 2011-2012 Details is to be given	
14.	Actual requirement of Iron & Steel to be booked for the year 2012-2013. Details of quantity & category is to be given	
15.	List of certified copies of documents attached	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I / We have gone through carefully Iron & Steel distribution policy for the year 2012-2013 of RSIC Ltd. and agree to abide by all the terms and condition motioned in the aforesaid distribution policy of the Corporation for the year 2012-2013.

Affidavit in the prescribed form on a non-judicial stamp paper of Rs. 100/- is enclosed.

Thanking you

Yours Faithfully

**Authorized Signatory**

Name.....

Designation with Seal .....

**ANNEXURE – ‘ B ’**

**CERTIFICATE**

It is certified that the above information furnished by the Units are found correct and verified after field verification.

Signature of the Officer In-charge of the Respective

DIC

With Seal

Name.....

Designation.....

ANNEXURE – ‘ C ’

AFFIDAVIT

I / We.....

Undertake that we are Consumers of Iron & Steel in Small / Medium Sector of Rajasthan having annual requirement up to ..... Tonne. We also undertake that Iron & Steel purchased from The Rajasthan Small Industries Corporation Limited (RSIC) will not be resold or traded but it will be utilized properly by us as end user and in case we are found defaulter or make breach of any of the conditions, the RSIC Ltd. Shall be entitled to stop supply of Iron & Steel top us and take necessary legal action as per law.

For.....

Authorized Signatory

(Name & Company Seal)

Phone No.....

Fax No.....